

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष – पुजा कुमारी

बनाम

वाद सं० 99/2023

द्वितीय पक्ष – संजय ओहदार बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 38/2023 दिनांक 05/12/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) पुजा कुमारी उम्र 30 वर्ष पिता विश्वास बंगाली (2) रजनी टोप्पो उम्र 40 वर्ष पिता उदासन नाग, दोनो ग्राम केमता टोली, थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) संजय ओहदार, उम्र 35 वर्ष पिता स्व० सेंभु ओहदार (2) रेखा देवी उम्र 33 वर्ष पति संजय ओहदार दोनो ग्राम तिरा केमता टोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर वाद लाया गया है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	